साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवेदन–फार्म

मूल्य रू. 500/–

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

ग्राम सिरोंजा, पो. बम्होरी तह.–जिला. सागर– 470228
फोन :– (07582) 281345
e-mail : sanchibkdssagar@gmail.com

प्रपत्रः–1

// आवेदककर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

आवेदककर्ता
अपना पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकाए/स्केन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सिरोंजा, सागर (म0प्र0)

महोदय,

बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत .... शहर/क्षेत्र में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय कार्य किये जाने के संबंध में वितरक कार्य करने हेतु प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना को पढ़कर हमने / मैंने यह आवेदन प्रपत्र विपणन कार्यालय से प्राप्त किया है। मैं यह आवेदन फार्म आवेदित स्थल .... के लिए भर रहा हूँ। हमने / मैंने अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों, आवेदन प्रपत्रों में वर्णित विवरण को भली भांति पढ़कर समझ लिया हैं तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ तथा बाध्य हूँ ।

इस संदर्भ में हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

01. आवेदककर्ता का नाम व पता ....
02. दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री एवं मोबाईल नंबर ....
03. आवेदककर्ता का ई–मेल पता एवं फैक्स नंबर एस.टी. डी.कोड सहित ....
04. आवेदककर्ता की संस्था का स्वरूप (फर्म/ कंपनी/ प्रो.स्वामित्व/ हिंदु अविभाजित परिवार आदि) ....

05. प्रोपराइटर/भागीदार/मु.कार्य.पालन अधिकारी का नाम व

पता संपर्क दूरभाष–मोबाईल नंबर सहित ....

06. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम / पते ....

07. कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्र0 तथा दिनांक....... ....

08. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....

09. आवेदककर्ता का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर का विवरण ....

10 FMCG अथवा समकक्ष क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव की स्वप्रमाणित लेटर संलग्न करें।..............

11. एफ.एस.एस.आई. नं की प्रति संलग्न करें। ....

1. उपरोक्त दस्तावेज तथा इसमें निर्धारित शर्तों के तहत् दुग्ध संघ द्वारा हमें / मुझे वितरक का कार्य सौंपा जाता है तो हम / मैं निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि और वांछित कागजात प्रस्तुत कर निर्धारित अवधि में अनुबंध करने के लिए सहमत हैं / हूं ।
2. हम / मैं उपरोक्तानुसार घोषित करते हैं / करता हूं कि आवेदन प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।

दिनांक..................

आवेदककर्ता के हस्ताक्षर.........................

नाम...

प्रो. / कंपनी / फर्म का नाम...........................

पूरा पता...

....

हैसियत..

मुहर / सील..

नोट – इस परिशिष्ट में सभी अपेक्षित विवरण स्पष्ट रुप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी स्थिति अनुसार स्पष्ट कर अंकित करें। अपेक्षित विवरण के अभाव में आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रपत्र–02

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2. आवेदककर्ता को न्यूनतम 500 लीटर दुग्ध विक्रय प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी समीक्षा दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रति माह की जावेंगी। निर्धारित लक्ष्य अनुसार लक्ष्य प्राप्त न करने की दशा में वितरक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुशंसा पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को होगा।

3. चयनित आवेदककर्ता को दुग्ध संघ में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिभूति राशि रुपये 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) डी.डी सागर के लिये एवं अन्य स्थान/शहर के लिए रुपये 50000 (रुपये पचास हजार मात्र) बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में जमा करना होगी। जो कि पेयबल एट बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर के नाम से होगा।

4. किसी भी आवेदित स्थल पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में चयन प्रक्रिया लाटरी सिस्टम के माध्यम से की जावेंगी । जो कि आवेदककर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

5. आवेदककर्ता के पास चयन होने के उपरांत आवेदित स्थल पर स्वयं की दुकान अथवा कार्यालय होना अनिवार्य है। दुकान अथवा कार्यालय किराये से लिये जाने की दशा में किरायानामा/मुखतारनामा समय पर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

6. वितरक को दुग्ध की मांग प्रतिदिन समय पर ई–मेल के द्वारा दिया जाना होगा एवं प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ के विरूद्ध अग्रिम राशि प्रतिदिन आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करनी होगी। अग्रिम राशि जमा न किये जाने की दशा में प्रदायगी की जाना सम्भव नही होगा।

7. आवेदककर्ता को स्थानीय बाजार में मांगानुसार अपने स्वयं के वाहन से विक्रेताओं को दुग्ध वितरण समय पर करना अनिवार्य होगा।

8. आवेदककर्ता को रू 1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

9. आवेदककर्ता वितरण स्थल पर संबंधित परिवहनकर्ता से दूध के पैकेटस् एवं दुग्ध उत्पाद छाट कर लेगा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण होने के उपरांत किसी भी प्रकार से दुग्ध के पैकेटस्/उत्पाद कम/लीकेज होने की दशा में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदककर्ता की होगी।

10. आवेदककर्ता का चयन दो वर्षो हेतु किया जावेंगा। वितरक कार्य दो वर्ष की अवधी सफलता पूर्वक समाप्त होने के उपरांत वितरक कार्य हेतु अवधी बढाये जाने का निर्णय लेने का अधिकार मुख्य र्कायपालन अधिकारी महोदय को होगा।

11. आवेदककर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रूपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदककर्ता को सम्पूर्ण भारतवर्ष में कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसा होने पर आवेदककर्ता को दुग्ध संघ के विरूद्ध किसी भी मा.न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार नही होगा।

12. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता प्रतिपादित होने पर प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवाएगा।

13. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

14. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

15. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर आवेदककर्ता को काली सूची में डालने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

16. आवेदककर्ता को वितरक कार्य हेतु FMCG अथवा समकक्ष क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। दुग्ध विक्रय के क्षेत्र में अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जावेंगी।

17. आवेदककर्ता के पास एफ.एस.एस.आई. नं होना अनिवार्य होगा।

18. वितरक कार्य हेतु शेष नियम एवं शर्ते दुग्ध संघ की वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेंगी। जिसकी जानकारी आवेदककर्ता आवेदन प्रपत्र जमा करते समय विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दूध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र में समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 18 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता